पंचनामा मौका

दिनांक 03.03.08

पंचनामा मौका मुतल्लिक रकबा वनीय कर्मचारी द्वारा बमुकाम मौजा पाटुन्दा & तीखोंड के गैर मुमकीन खाल एवं सिवाय चक बंजड़ की में

आज दिनांक 03.03.08 को आदेश जिलाकलेक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ 4 राजस्व/98 1188-89 दिनांक 25 फरवरी 2008 की पालना में ग्राम पंचायत मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में तहसील अंता के पटवार मण्डल पाटुन्दा एवं आलड़ा के मौजा पाटुन्दा एवं तीखोंड की सिवायचक बंजड़ एवं गैर मुमकिन नदी नाले रेवेन्यू शेड का मौका मुआयना उपरोक्त अधिकारी की मौजूदगी में देखा गया एवं रिकार्ड से मीलान कर निम्न लिखित खसरा नम्बरान का शेड प्रस्तावित किया गया जो निम्न प्रकार है:-

मौजा	खसरा नम्बर	रकबा (हे०) किस्म
तीखोंड	54	3.10 हे० सिवायचक बंजड़
	55	5.23 "
	56	6.00 "
	57	4.70 "
	58	3.40 "
	59	6.00 "
	60	9.00 "
	61	2.70 "
	63	7.30 "
	513/64	10.80 "
	80	1.00 "
	81	4.00 "
	82	4.00 "
	86	4.15 "
	96	5.50 "
	98	4.13 "
	99	2.42 " 83.98
पाटुन्दा	1337	12.20 " गैर मुमकिन नदी नाले
	1360	14.17 "
	1397	4.71 "
	1398	2.64 " 33.72
	योग:	117.70

मौजा	खसरा नं०	रकबा (हे०) किस्म
पाटुन्दा	2	9.14 गैर मुमकीन नदी नाले
	8	14.70
	9	6.15
	10	4.00
	204	32.73
	योग	66.72
पाटुन्दा	1025	4.52 गैर मुमकिन नदी नाले
	1026	8.59
	1109	4.81
	1113	12.83
	1114	9.64
	1115	12.00
	1116	5.76
	1200	10.19
	1201	10.84
	1202	18.00
	1203	4.90
	योग:-	102.08

प्रस्तावित वन खण्ड

	रकबा हैक्टर में
वन खण्ड तीखोंड	117.70
वन खण्ड पाटुन्दा A	66.72
वन खण्ड पाटुन्दा B	102.08
योग:-	286.50

इस प्रकार चाहे गये प्रस्तावित शेड 286.50 हैक्टर में मूल में वन विभाग द्वारा जंगली फ्लोरा (बिलायती बबूल) के प्लान्टेशन लगाये हुए है जिन की सुरक्षा का जिम्मा वर्तमान में वन विभाग द्वारा ही वहन किया जा रहा है। उक्त शेड में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण/आवंटन नहीं है। राजस्व पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त गैर-मुमकीन नदी नालों पर किसी को भी एलॉटमेंट किया जाने पर हाईकोर्ट का स्थगन (स्टे) होना बतलाया है। अतः उक्त शेड ग्राम पंचायत मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में दिया जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मौका पंचनामा पढ़कर सुनाया एवं उपरोक्त अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये गये।

संजीव वन अधिकारी उ/ध
अन्ता (बारां)